न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 08/2018

प्रार्थिया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भजन कौर पत्नि गुरदीप सिंह पुत्री उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 बी तहसील श्रीकरणपुर।		1. सुखा सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 14 ओ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुखबीर सिंह उर्फ पप्पू पुत्र भजन सिंह जाति जटसिख निवासी 14 ओ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 3. लखबीर उर्फ गुगली पुत्र भजन सिह जाति जटसिख निवासी 14 ओ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 31.01.2018

उपस्थितः 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री रमेश गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थीगण

--निर्णय-- दिनांकः 19.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 14 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 41/42 के मुरब्बा नम्बर 53, 54, 59, 59/20 की कुल 10.385 हैक्टर भूमि प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थिया 1.731 हैक्टर भूमि की खातेदारी मालिक है। जिस पर प्रार्थिया आज तक शांतिपूर्वक काबिज चली आ रही है। खाता की तमाम भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। जिसमें प्रार्थिया अप्रार्थीगण सहखातेदारन मालिक है। प्रार्थिया व अप्रार्थीगण कई वर्षो से आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा मुताबिक प्रार्थिया मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1/2 के 0.114 हैक्टर, किला नम्बर 10 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 11 के 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 20 के 0.228 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 7 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 6 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 15 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 16 के 0.225 हैक्टर कुल 1.731 हैक्टर यानि 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि की मालिक की हैसियत से कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जो उक्त रकबा में सहहिस्सेदार है, जो अपने हिस्से की भूमि को काश्त कर रहे है। अप्रार्थी के मन में बेईमानी आ गई है और प्रार्थिया की घरू बंटवारा मुताबिक भूमि पर जबरदस्ती धक्के से काबिज होना चाहते है। आज से 4 रोज पूर्व प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को मिलकर कहा कि आप मेरी कब्जाशुदा भूमि में कब्जा करने की कोशिश ना करों चूकिं मैं अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हूं। परन्तु अप्रार्थीगण ने कहा कि आपकी सहखातेदार व मुश्तर्का खाता की भूमि है। जिस पर हम कब्जा करके खूर्द बूर्द कर देगे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थिया को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा तुरन्त रोका जाना अति आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थिया के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

14 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 41/42 के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1/2 के 0.114 हैक्टर, किला नम्बर 10 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 11 के 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 20 के 0.228 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 7 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 6 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 15 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 16 के 0.225 हैक्टर कुल 1.731 हैक्टर यानि 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि जो प्रार्थिया के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण स्वयं एंव अन्य किसी से दखल अंदाजी करने एवं करवाने से बाज व ममनू रहे तथा रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके अनुसार यह कथन गलत है कि कथित घर बंटवारा के मुताबिक वादिया के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1/2 के 0.114 हैक्टर, किला नम्बर 10 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 11 के 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 20 के 0.228 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 7 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 6 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 15 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 16 के 0.225 हैक्टर कुल 1.731 हैक्टर यानि 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि की मालिक काबिज चली आ रही हो। वादिया ने अपने हिस्सा की भूमि का बेचान अप्रार्थी लखवीर सिंह को जरिये इकरारनामा दिनांक 05.06.2004 को कर चुकी है। यदि वादिया का कब्जा काश्त होता तो वह कब्जा का कोई दस्तावेज पेश करती। वादिया के कब्जा में कोई भूमि नहीं है। उपर्युक्त मुरब्बा नम्बर 53 व 54 पर अप्रार्थीगण 1 से 4 तथा 7 व 8 का कब्जा काश्त गत 40 वर्षो से चला आ रहा है। चक 14 ओ के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1/2 के 0.114 हैक्टर व किला नम्बर 02 में ढाणीयां बनी हुई है। जिनमें हम अप्रार्थीगण की रिहायश चली आ रही है। इस खाता की तमाम भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 7, 8 का कब्जा काश्त व रिहायश चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 6 ज्ञान कौर द्वारा भी आज से काफी वर्ष पूर्व अपने हिस्सा की भूमि हम अप्रार्थीगण के हक में तर्क की हुई है तथा प्रार्थिया द्वारा अपने हिस्सा की भूमि अप्रार्थी लखवीर सिंह को बेचान की हुई है तथा इस प्रकार विवादित भूमि में वादिया एंव अप्रार्थी ज्ञान कौर का कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। उपर्युक्त तमाम भूमि की पानी की पर्चीया हमारे पूर्वज उजागर सिंह के नाम से नहरी विभाग द्वारा जारी होकर अप्रार्थीगण को मिलती आ रही है और उक्त तमाम भूमि का लगान आदि अप्रार्थीगण अदा करते आ रहे है। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थिया का कब्जा किसी भी भूमि पर नहीं हैं। प्रार्थिया ने अपने हिस्सा की भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 06.05.2004 को अप्रार्थी लखवीर सिंह को जरिये इकरारनामा 2,95,400 में बेचान का सौदा करके 1,95,400/- रूपये की राशि बतौर साई लखवीर सिंह अप्रार्थी से प्राप्त कर कब्जा लखवीर सिंह को दे चुकी है। प्रार्थना पत्र इकरारनामा की विनिर्दिष्ट पालना का होने के कारण इकरारनामा से सम्बन्धित विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी लखवीर सिंह द्वारा इकरारनामा दिनांक 06.05.2004 की पालना हेतु विनिर्दिष्ट पालना अनुबन्ध का दावा वरिष्ठ सिविल न्यायधीश श्रीकरणपुर की अदालत में भजन कौर के विरूद्व पेश किया जा चुका है। जिस में लखवीर सिह के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2018 को स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है। इसलिए भी वर्तमान प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया विशेष हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 चक 14 ओ के खाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संख्या 41/42, जवाब प्रार्थना व जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायधीश श्रीकरणपुर में पेश मुकदमा नम्बर 36/2018, जवाब दावा, आदेश दिनांक 09.04.2019 का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

1.**प्रथम दृष्टया मामला**:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत: दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार हैं। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र मे कथन किया गया है कि चक 14 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 41/42 के मुरब्बा नम्बर 53, 54, 59, 59/20 की कुल 10.385 हैक्टर भूमि प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थिया 1.731 हैक्टर भूमि की खातेदारी मालिक है। घरू बंटवारा मुताबिक प्रार्थिया मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1/2 के 0.114 हैक्टर, किला नम्बर 10 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 11 के 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 20 के 0.228 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 7 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 6 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 15 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 16 के 0.225 हैक्टर कुल 1.731 हैक्टर भूमि पर आज तक शांतिपूर्वक काबिज चली आ रही है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त कृषि भूमि के संबध मे रिकॉर्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा कथन किये गये कि प्रार्थिया ने अपने हिस्सा की भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 06.05.2004 को अप्रार्थी लखवीर सिंह को जरिये इकरारनामा 2,95,400 में बेचान का सौदा करके 1,95,400/- रूपये की राशि बतौर साई लखवीर सिंह अप्रार्थी से प्राप्त कर कब्जा लखवीर सिंह को दे चुकी है। यदि वादिया का कब्जा काश्त होता तो वह कब्जा का कोई दस्तावेज पेश करती। प्रार्थना पत्र इकरारनामा की विनिर्दिष्ट पालना का होने के कारण इकरारनामा से सम्बन्धित विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी लखवीर सिंह द्वारा इकरारनामा दिनांक 06.05.2004 की पालना हेतु विनिर्दिष्ट पालना अनुबन्ध का दावा वरिष्ठ सिविल न्यायधीश श्रीकरणपुर की अदालत में भजन कौर के विरूद्व पेश किया जा चुका है। जिस में लखवीर सिह के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2018 को स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है। इसलिए भी वर्तमान प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया विशेष हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे। लिहाजा वरिष्ट सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर की अदालत में अप्रार्थी लखवीर सिंह के द्वारा भजन कौर के विरूद्व इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत मुकदमा नम्बर 36/2018, अनवान लखवीर सिंह बनाम भजन कौर के आदेश दिनांक 09.04.2019 में लखवीर सिंह का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर चक 14 ओ तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 41/42 के मुरब्बा नम्बर 53,54 में स्थित 1.731 हेक्टैयर नहरी भूमि को किसी प्रकार से रहन, विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे, के आदेश पारित किए गए है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2.**सुविधा का संतुलन**:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रार्थिया के विरूद्ध साबित हो चुका है। वादग्रस्त 1.731 हेक्टेयर भूमि प्रार्थिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर की अदालत में इकरारनामा के आधार पर अप्रार्थी लखवीर सिंह के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। लिहाजा प्रार्थिया सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया असफल रही है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। चूंकि वादग्रस्त आराजी के संबध में सिविल न्यायालय के द्वारा अस्थायी व्यादेश दिया जा चुका है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थिया को स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर